

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2168 / 2023

सुभिता कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अति. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित -

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलिम खान, अधिवक्ता,

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन अंकित किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.01.2016 में ए.एन.एम. के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वेतन आहरण नहीं किये जाने के संदर्भ में दिनांक 09.08.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जबकि अपीलार्थी के वेतन का आहरण सितम्बर, 2022 से नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को बार-बार वेतन के संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.08.2022 को स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सी.एच.सी. रींगस सीकर से सबसेंटर दुडिया झुंझुनू में शारदा देवी के स्थान पर किया गया था स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 161 पर अंकित है। जिसके अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2022 को उप सबसेंटर दुडिया झुंझुनू में कार्यग्रहण कर लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 को शारदा देवी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा शारदा देवी की अपील संख्या 3372 / 2022 में स्थगन आदेश पारित किया गया। विभाग द्वारा दोनों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक

17.08.2022 के अनुसरण में कार्यग्रहण किया गया था, जो कि विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग द्वारा शारदा देवी को अधिशेष न मानते हुए अपीलार्थी को अधिशेष कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया। जो अवैध एवं मनमाना है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में अपीलार्थी को अधिशेष नर्सिंगकर्मी मानते हुए श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू के लिये कार्यमुक्त किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी। जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2022 को अपास्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 के अनुसरण में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया गया था, जो आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया था। चूंकि शारदा देवी के स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण शारदा देवी द्वारा स्थगन की कार्यवाही की गई थी, जिस कारण से अपीलार्थी का वेतन सितम्बर, 2022 से लगातार आहरण नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप में अवैध एवं मनमाना है।

2. हमने अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को माह सितम्बर, 2022 से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
4. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)